प्रेस विज्ञप्ति

07.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 05.12.2024 को मध्य प्रदेश के सीहोर और इंदौर जिलों में स्थित 04 परिसरों में मनोज परमार और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में उन प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे जो अपराध की आय के लाभार्थी थे या जिन्होंने बैंक धोखाधड़ी में ऐसे व्यक्तियों को सक्रिय रूप से सहायता/प्रोत्साहन प्रदान किया था। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और अचल/चल संपत्तियों का विवरण मिला और उन्हें जब्त कर लिया गया। तलाशी के दौरान कुछ व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए और 3.5 लाख रुपये का बैंक बैलेंस फ्रीज कर दिया गया। तलाशी के दौरान प्रमुख व्यक्तियों की 04 अचल संपत्तियों का विवरण भी मिला।

ईडी ने पीएनबी के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक यानी मार्क पायस करारी और मनोज परमार के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर और चार्जशीट की जांच से पता चला कि मुख्यमंत्री युवा उधमी योजना (सीएमवाईयूवाई) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजनाओं के तहत ऋण के रूप में 6 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि का लाभ उठाया गया था, लेकिन इसे डायवर्ट किया गया और गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया।

जांच के दौरान, बैंक खाते के विश्लेषण से पता चला कि बैंक के फंड को विभिन्न प्रोपराइटरशिप के संबंध में/फर्मों में डायवर्ट किया गया था और बाद में संपत्तियों में निवेश के उद्देश्य से नकद के रूप में निकाल लिया गया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****